Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 11 | NOVEMBER 2024

भारत में लैंगिक समानता: एक अध्ययन

डॉ. बीना महलावत [1]

[1] **पीडी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, भांकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान.**

ABSTRACT:

आज दुनिया के लगभग सभी देशों में लैंगिक समानता की बात की जा रही है लेकिन विश्व के कुछ राष्ट्रों द्वारा बड़ी प्रगति कर लेने के बावजूद यह विचार एक सपना ही बना हुआ है। वैश्विक आर्थिक सुधारों के बावजूद लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आने वाले दिनों में यह स्थिति और भयावह हो सकती है। वर्ष 2022 आंकड़े बताते है कि महिला-पुरुष आमदनी में पर्याप्त विषमता है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में 23 प्रतिशत कम कमाती हैं। आबादी के लिहाज से देखे तो हम पाते है कि महिलाएं दुनिया की आधी आबादी के रूप में है, वहीं महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी केवल 24 प्रतिशत है। उत्तर कोरिया में महिला साक्षरता दर 100 प्रतिशत है। पोलैंड, रूस और यूक्रेन में 99.7 प्रतिशत, इटली में 99, सर्बिया में 97.5, चीन में 95.2 और श्रीलंका में 91.0 प्रतिशत है, जबकि भारत में यह 65.8 प्रतिशत है। भारत के संविधान ने देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 एवं 19 के तहत) दिया है। इससे आज समाज में महिलाओं की स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है, परंतु अपेक्षित सुधारों की गति धीमी रही है।

KEYWORDS:

लैंगिक समानता, महिला-पुरुष समानता।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
28th November 2024	30th November 2024

प्रस्तावना

महिलाओं के साथ भेदभाव को समाप्त करने में अध्यात्म गहरी भूमिका निभाता है। हमारी संस्कृति में स्त्री का दर्जा पुरुष से कम नहीं माना गया है। मुगल आक्रमण से पहले स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाता था। हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार ज्ञान की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी और शक्ति की देवी दुर्गा पूजा जाता है। हमारे जीवन को अधिशासित करने वाले सत, रज और तम, इन तीन गुणों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए हम देवी मां की ही प्रार्थना करते हैं-

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया: ।।[1]

जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्रियों की पूजा नही होती है, उनका सम्मान नही होता है वहाँ किये गये समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। नारी जननी है। नारी नर का अभिमान है। नारी राष्ट्र के विकास की नींव है। नारी सृष्टि का अनमोल उपहार है। नारी से सृष्टि और सृष्टि से नारी है। वैदिक साहित्य में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के कारण नारी पूजनीय एवं वंदनीय थी। लैंगिक समानता किसी भी राष्ट्र के सतत भविष्य का द्योतक होता है। लैंगिक असमानता समाज के संतुलन व्यवस्था और विकास को प्रभावित करती है।[2]

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण समावेशी आर्थिक विकास के केंद्र में है और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु निवेश करने से लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन और समावेशी आर्थिक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन अर्थव्यवस्था में महिलाओं और बालिकाओं को समाहित करने और कार्यस्थलों एवं सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाने के साथ-साथ महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने की भी जरूरत है। समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी और उनके स्वास्थ्य एवं संपन्नता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।[3]

राष्ट्र के विकास के लिए समाज में लैंगिक समानता का होना बहुत जरूरी है। महिला और पुरुष समाज के मूलाधार हैं। अतएव लैंगिक समानता रूपी नींव पर राष्ट्र के विकास रूपी इमारत का निर्माण किया जा सकता है। अभी भी भारत में लिंग आधारित भेदभाव कार्य कर रहा है। जन्म से लेकर मौत तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, हर जगह पर लैंगिक भेदभाव साफ साफ नजर आ जाता है। इस भेदभाव को कायम रखने में सामाजिक और राजनीतिक पहलू बहुत बड़ी भूमिका निभाते है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की प्रसंग - 'जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो' (एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता) है। सेंटर फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड इनक्लूसिव लीडरशिप की चेयरपर्सन अलका रजा का लक्ष्य है- महिला सशक्तीकरण, शांति और सुरक्षा के लिए मौजूदा चुनौतियों और बाधाओं को कवर करना। वल्ड इकनोमिक फोरम द्वारा वर्ष 2021 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो भारत 156 देशों की सूची में 140 नंबर पर आता हैं। इस रैंक से साबित होता है कि आज भी हमारे देश में लैगिंक भेदभाव की जड़ें गहरी हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक ऐसा शब्द है, जिसका इस्तेमाल समाज में महिलाओं के खिलाफ होने वाले और मुख्य रूप से हिंसात्मक कार्यों के सभी रूपों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा आमतौर पर लिंग आधारित होती है। लैंगिक समानता लाकर लिंग आधारित असमानताओं को समाज से दूर किया जा सकता है। लैंगिक समानता का उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं के बीच सभी सीमाओं और मतभेदों को दूर करना है। यह पुरुष और महिला के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करता है। लिंग समानता पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करती है, चाहे वह घर पर हो या शैक्षणिक संस्थानों में या कार्यस्थलों पर। लैंगिक समानता राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता की गारंटी देती है। भारत में लैंगिक समानता के आधार पर महिलाओं को मिले निम्न अधिकार इस प्रकार हैं-

1. समान मेहनताना का अधिकार: इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में दर्ज प्रावधानों के मुताबिक सैलरी के मामलों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी कामकाजी महिला को पुरुष के बराबर सैलरी लेने का अधिकार है।

2. गरिमा और शालीनता का अधिकार: महिला को गरिमा और शालीनता से जीने का अधिकार मिला है। किसी मामले में अगर महिला आरोपी है, उसके साथ कोई मेडिकल परीक्षण हो रहा है तो यह काम किसी दूसरी महिला की मौजूदगी में ही होना चाहिए।

3. कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा: भारतीय कानून के मुताबिक अगर किसी महिला के खिलाफ दफ्तर में शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न होता है, तो उसे शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। इस कानून के तहत, महिला 3 महीने की अवधि के भीतर ब्रांच ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (आईसीसी) को लिखित शिकायत दे सकती है।

4. घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार: भारतीय संविधान की धारा 498 के अंतर्गत पत्नी, महिला लिव-इन पार्टनर या किसी घर में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार मिला है। पति, मेल लिव इन पार्टनर या रिश्तेदार अपने परिवार के महिलाओं के खिलाफ जुबानी, आर्थिक, जज्बाती या यौन हिंसा नहीं कर सकते। आरोपी को 3 साल गैर-जमानती कारावास की सजा हो सकती है या जुर्माना भरना पड़ सकता है।

5. पहचान जाहिर नहीं करने का अधिकार: किसी महिला की निजता की सुरक्षा का अधिकार हमारे कानून में दर्ज है। अगर कोई महिला यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है तो वह अकेले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा सकती है। किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में बयान दे सकती है।

6. मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार: लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के मुताबिक बलात्कार की शिकार महिला को मुफ्त कानूनी सलाह पाने का अधिकार है. लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से किसी महिला का इंतजाम किया जाता है।

7. रात में महिला को नहीं कर सकते गिरफ्तार: किसी महिला आरोपी को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते। अपवाद में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आदेश को रखा गया है। कानून यह भी कहता है कि किसी से अगर उसके घर में पूछताछ कर रहे हैं तो यह काम महिला कांस्टेबल या परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में होना चाहिए।

8. वर्चुअल शिकायत दर्ज करने का अधिकार: कोई भी महिला वर्चुअल तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है. इसमें वह ईमेल का सहारा ले सकती है। महिला चाहे तो रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस के साथ पुलिस थाने में चिट्ठी के जरिये अपनी शिकायत भेज सकती है। इसके बाद एसएचओ महिला के घर पर किसी कांस्टेबल को भेजेगा जो बयान दर्ज करेगा।

9. अशोभनीय भाषा का नहीं कर सकते इस्तेमाल: किसी महिला (उसके रूप या शरीर के किसी अंग) को किसी भी तरह से अशोभनीय, अपमानजनक, या सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता को भ्रष्ट करने वाले रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते. ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है।

10. महिला का पीछा नहीं कर सकते: आईपीसी की धारा 354 डी के तहत वैसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जो किसी महिला का पीछे करे, बार-बार मना करने के बावजूद संपर्क करने की कोशिश करे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे इंटरनेट, ईमेल के जरिये मॉनिटर करने की कोशिश करे।

11. जीरो एफआईआर का अधिकार: किसी महिला के खिलाफ अगर अपराध होता है तो वह किसी भी थाने में या कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं कि कंप्लेंट उसी थाने में दर्ज हो जहां घटना हुई है. जीरो एफआईआर को बाद में उस थाने में भेज दिया जाएगा जहां अपराध हुआ हो।[4]

लैंगिक समानता के लिए सरकार का पहल

सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने को अपनी प्राथमिकता बनाया है। साथ ही उनकी तस्करी, घरेलू हिंसा तथा यौन शोषण रोकने के लिए विशेष उपाय किए हैं। नीतिगत कार्यक्रमों में लैंगिकता को प्रस्तावित और एकीकृत करने के लिए प्रयास भी किए गए हैं। जनवरी 2015 में बालिकाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण करने वाले अभियान 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत की गई जिसे राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जा रहा है।[5]

लैंगिक असमानता और नीतियाँ

भारत में महिलाओं को वैदिक काल से शक्ति का स्रोत माना गया है। महिलाओं ने सामाजिक, आर्थिक और सैन्य क्षेत्र से लेकर विज्ञान तक में अपनी काबिलियत साबित की है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने का सीधा संबंध अर्थव्यवस्था की उत्पादकता से है। सामाजिक न्याय का कोई भी प्रयास महिलाओं की आत्मनिर्भरता से ही सुदृढ़ होता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी लैंगिक भेद सूचकांक 2020 में भारत एक सौ बारहवें पायदान पर है, जबकि 2018 में यह स्थान एक सौ आठवां था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार देश में महिला श्रमबल की भागीदारी दर 23.3 फीसद है। श्रम क्षेत्र में महिला कार्यबल की भागीदारी कम होने के प्रभावों को लेकर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट हमें आगाह करती है। विश्व बैंक के अनुसार भारत के श्रमक्षेत्र में 2019 में महिलाओं का अनुपात 20.3 फीसद था। यह पड़ोसी देश बांग्लादेश के 30.5 और श्रीलंका के 33.7 फीसद से काफी कम है।

मार्च-अप्रैल 2020 में लगभग डेढ़ करोड़ महिलाओं को अपना रोजगार गंवाना पड़ा था, जो कुल महिला कार्यबल का सैंतीस फीसद था। ऐसे में हमें महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को नए सिरे से प्रभावी बनाना होगा। तभी हम लैंगिक असमानता खत्म कर हम महिलाओं को आगे ला सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आधी आबादी की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का कोई भी जतन शिक्षा के जरिए ही पूरा होगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार 2018-19 में उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं की दर 17.3 फीसद रही। प्राथमिक स्तर पर यह 4.74 फीसद रही। कर्नाटक, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में लड़कियों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर सबसे अधिक है। कोरोना महामारी ने छात्राओं और स्कूलों के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया।

आज रोजगार के अधिकांश अवसर सूचना व प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हैं। इस क्षेत्र में उद्यमशिलता के बिना महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ाई जा सकती है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआइएसएचई) 2019-20 के अनुसार भारत का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 27.1 फीसद हो गया। 2018-19 में यह 26.3 फीसद था। इस दशक के अंत तक पांच खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें जीईआर को पचास फीसद के स्तर पर ले जाना होगा। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कुल बजट का 3.4 फीसद है, जबकि भूटान 7.7, नेपाल 4.6 फीसद बजट स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं। इसका सीधा संबंध गरीबी के रूप में सामने आता है। लैंगिक समानता के लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए नीति निर्धारण प्रक्रिया में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ानी होगी। महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में तैंतीस फीसद आरक्षण की मांग पर राजनीतिक दलों की उदासीनता किसी से छिपी नहीं है। विश्व लैंगिक भेद रिपोर्ट-2021 के अनुसार राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक में भारत का प्रदर्शन लगातार कमजोर हो रहा है।

संसद में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन (आइपीयू) द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार एक सौ तिरानवे देशों में भारत एक सौ अड़तालीसवें स्थान पर आता है। सत्रहवीं लोकसभा में 78 महिला सांसद निर्वाचित हुंइ। 2014 के लोकसभा चुनाव में 62 महिलाओं ने जीत दर्ज की थी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा में बढ़ रहा है, लेकिन अनुपात अब भी बहुत कम है। 1951 में हुए पहले लोकसभा में पांच फीसद महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जबकि साल 2019 की सत्रहवीं लोकसभा में यह बढ़ कर चैदह फीसद हो गया।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 में पहली बार देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक होने का निष्कर्ष प्रोत्साहित करने वाला है। इसका श्रेय महिला सशक्तीकरण के लिए वित्तीय समावेश और लैंगिक पूर्वाग्रह तथा असमानताओं से निपटने के उपायों को जाता है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक अभियानों से छात्राओं के पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी आई है। लैंगिक समानता के प्रयासों के क्रम में लड़कियों के विवाह की उम्र को 18 से 21 किया जाना एक महत्वपूर्ण फैसला है।[6]

निचले तबके की घटती आमदनी और लैंगिक असमानता

2022 की विश्व असमानता रिपोर्ट ने दुनिया भर में संपत्ति और आमदनी को लेकर सबसे बड़ी चुनौतियों को हमारे सामने रखा है। ये रिपोर्ट 100 से ज्यादा उन रिसर्च के आधार पर तैयार की गई है, जिसका लेखा-जोखा विश्व असमानता प्रयोगशाला रखती है, और जो विश्वविद्यालयों, सांख्यिकी संस्थानों, कर अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विशाल और समृद्ध नेटवर्क का इस्तेमाल करके दुनिया भर में असमानता पर विश्लेषण आधारित आंकड़े जुटाती है।

आज भारत के हालात को दुनिया में 'संपत्ति और आमदनी में असमानता के सबसे बुरे मामलों वाला देश' के रूप में बताया जा रहा है। हम इसे 1990 के देश के सरकारी नियंत्रण से मुक्त की गई अर्थव्यवस्था के लिए तैयार की गई उदारवादी नीतियों की विरासत के बजाय, ये कह सकते हैं कि ये एक राजनीतिक विकल्प के चुनाव का नतीजा है। लेकिन, इन नीतियों ने देश के भीतर भी आबादी के अलग अलग वर्गों पर अलग तरह से असर डाला है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि भारत की आबादी के सबसे अमीर दस फीसद लोग, सबसे निचले तबके के पचास प्रतिशत लोगों की आमदनी से बीस गुना अधिक कमाते हैं। कुल आमदनी में, निचले वर्ग के पचास प्रतिशत लोगों का हिस्सा घटते हुए 13 प्रतिशत हो गया है। वहीं, सबसे ज्यादा आमदनी वाले एक प्रतिशत लोग कुल राष्ट्रीय आमदनी का 22 प्रतिशत कमा रहे हैं। ऐसे में, 'भारत एक गरीब और बहुत गैर बराबरी वाले देश के तौर पर भी सबसे खराब

स्थिति में है।' लैंगिक आधार पर होने वाला भेदभाव, सामाजिक आर्थिक असमानता का एक अहम आयाम है। इस अभूतपूर्व दौर में इसने महिलाओं की आमदनी और उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर डाला है। संयुक्त राष्ट्र की 2020 की महिलाओं पर रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2021 में भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के भयंकर गरीबी में रहने की आशंका दस फीसद ज्यादा है। हालांकि, 'महिलाओं' से मतलब ऐसे लोगों के व्यापक दायरे से है, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि से आती हैं और जिनके लिए उपलब्धता एक जैसी नहीं होती है। महिलाओं को पढ़ाई के अवसर, पूंजी तक पहुंच, मजदूरी में अंतर और अन्य सामाजिक पाबंदियों जैसी चुनौतियां पहले ही झेलनी पड़ रही थीं।

लैंगिक असमानता और मजदूरी की आमदनी में हिस्सा

लैंगिक असमानता, दुनिया भर में गैर बराबरी की सबसे पुरानी और व्यापक समस्या रही है। इसका नतीजा ये हुआ है कि कोविड-19 महामारी का भी लैंगिक रूप से अलग अलग तरह का असर देखने को मिला है। असमानता रिपोर्ट ने आमदनी और संपत्ति के स्तर का आलोचना के नजरिए से विश्लेषण किया है, और पहली बार दुनिया में आमदनी के लिहाज से लैंगिक असमान का लेखादृजोखा पेश किया है। इस रिपोर्ट में आमदनी में अंतर को आधार बनाकर 1990 से 2020 के दौरान महिला मजदूरों की आमदनी में हिस्सेदारी को लैंगिक आधार पर अंतर के रूप में उजागर किया है। वैसे तो लैंगिक आधार पर मजदूरी के फर्क पर पहले से ही बहुत से आंकड़े और लेख उपलब्ध हैं। लेकिन, कुल मजदूरी में महिलाओं और पुरुषों की हिस्सेदारी पर ये रिपोर्ट लैंगिक असमानता की ज्यादा साफ तस्वीर पेश करती है। इससे किसी देश में संस्थागत असमानता के बारे में भी बेहतर जानकारी मिलती हैय इस रिपोर्ट में किसी खास देश के भीतर पुरुषों की तुलना में मजदूरी के बाजार तक महिलाओं की पहुंच और उनके नौकरी पर रखे जाने की संभावनाओं के बारे में आंकड़े जुटाए गए हैं। यहां पर भारत की स्थिति 18 फीसद के साथ बेहद खराब है।

भारत की स्थिति 18 फीसद के साथ बेहद खराब है। ये एशियाई देशों में सबसे कम है, और महिलाओं के साथ मजदूरी के मामले में भेदभाव में भारत सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आगे है। इन दोनों देशों में श्रम बाजार तक महिलाओं की पहुंच दस प्रतिशत से भी कम है। इस महामारी ने महिलाओं जैसे कमजोर और हाशिए पर पड़े सामाजिक वर्गों की आर्थिक स्थिरता और किसी चुनौती से निपटने की क्षमता पर कई तरह से बुरा असर डाला है। महामारी का ये विपरीत प्रभाव ऐसे विकासशील देशों की महिलाओं पर ज्यादा देखने को मिला है, जहां पर वो ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक माहौल से ताल्लुक रखती हैं, जहां पर श्रमिक बाजार तक महिलाओं के पहुंचने की राह में कुदरती तौर पर बाधाएं खड़ी होती हैं। लैंगिक समानता के लिए भारत की लड़ाई बहुत लंबी है और ये बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है। ये बात विश्व आर्थिक मंच की 2021 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से और भी साफ हो जाती है। रिपोर्ट में भारत को आर्थिक भागीदारी और अवसरों के मामले में सबसे ज्यादा लैंगिक अंतर वाले देश के रूप में चिह्नित किया गया है। क्योंकि, जहां 2010 में भारत के श्रमिक बाजार में महिलाओं की हिस्सेदारी 27 फीसद थी। वहीं, 2020 में महिलाओं की भागीदारी घटकर 22 प्रतिशत ही रह गई है। अजीम प्रेमजी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2021 में भी भारत में पुरुषों और महिलाओं के लिए कामकाज के हालात पर एक ज्यादा वास्तविक तस्वीर पेश की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि, 'लॉकडाउन और उसके बाद के महीनों में जहां 61 प्रतिशत पुरुष अपने रोजगार पर लगे रहे थे और इस दौरान केवल सात फीसद पुरुष कामगारों की नौकरी गई थी। वहीं, केवल 19 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं अपना रोजगार बचाने में कामयाब हो सकी थीं। जबकि 47 प्रतिशत कामगार महिलाओं की नौकरी हमेशा के लिए छिन गई थी।'

असमानता रिपोर्ट 2022 के मुताबिक, महिलाएं वैसे तो आबादी का पचास प्रतिशत हिस्सा होती हैं। लेकिन, श्रम करके की गई आमदनी में उनका हिस्सा एक तिहाई ही होता है। जो महिलाएं कामगार वर्ग का हिस्सा बन जाती हैं, उन्हें अक्सर असंगठित क्षेत्र में ही काम मिल पाता है और इन क्षेत्रों में श्रम कानूनों का संरक्षण नहीं मिलता है। न ही पेंशन, तनख्वाह के साथ बीमारी की छुट्टी और मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। असंगठित क्षेत्र शायद ही कभी बाजार की उठादृपटक से निपटने की ताकत देता होय इससे कामगार महिलाएं और भी कमजोर स्थिति में पहुंच जाती हैं और वो गरीबी की शिकार बनी रहती हैं और श्रमिक तबके का हिस्सा बनने से कतराती हैं। महामारी के दौरान, बेहतर अवसर न होने पर बहुत से पुरुषों ने असंगठित क्षेत्र का रुख किया था। वहीं, महिलाओं ने तो अपना काम ही छोड़ दिया था, क्योंकि उनके ऊपर घर के काम का बोझ भी बढ़ गया था, और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के ढांचे की भी भारी कमी थी।

अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया' के मुताबिक, लॉकडाउन लगाने से महिला कामगारों वाले काम-धंधों पर असर पड़ा है। जैसे कि देख-रेख वाली अर्थव्यवस्था और गिग इकॉनमी पर इसका उन क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा बुरा असर पड़ा है, जहां पर पुरुष ज्यादा संख्या में काम करते हैं। केवल 19 फीसद कामगार महिलाएं अपनी नौकरी जारी रखने में सफल रही थीं। वहीं, 47 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं का रोजगार हमेशा के लिए छिन गया। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 'श्रम बाजार के झटके' की परिकल्पना को इस तरह बयां करती है कि जहां पर व्यक्तिगत स्तर पर पहुंचकर काम करने पर अस्थायी रोक ने महिलाओं के भविष्य में रोजगार हासिल कर पाने की संभावना पर स्थायी और दूरगामी असर डाला है।[7]

लैंगिक समानता के लिए महिलाओं को देने होंगे समान अवसर

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदारी के मामले में व्यापक असमानता है। इस मामले में वैश्विक स्तर पर भारत 112वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल 108वें स्थान पर था। इस बार चार अंक का नुकसान हुआ है। जबकि आइसलैंड लैंगिक समानता के मामले में पहले नंबर पर बना हुआ है। वहीं, नार्वे दूसरे और फिनलैंड तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 106वें, श्रीलंका 102वें, नेपाल 101वें, ब्राजील 92वें, इंडोनेशिया 85वें और बांग्लादेश 50वें स्थान पर हैं। वहीं, पाकिस्तान 151वें, इराक 152वें और यमन 153वें स्थान पर है।

गौरतलब है कि डब्ल्यूईएफ ने 2006 में जेंडर गैप को लेकर पहली बार रिपोर्ट पेश की थी। उस समय भारत 98वें स्थान पर था। तब से भारत पिछड़ते जा रहा है। चार मानकों में तीन पर भारत पिछड़ गया है। भारत राजनीतिक सशक्तीकरण में 18वें स्थान पर है। दुनिया भर के आंकड़ें देखें तो भारत में महिला सांसदों का औसत सबसे कम है। भारत में जहां पूरे संसद की संख्या का केवल 14 फीसदी महिला सांसद है तो दक्षिण अफ्रीका में 43 फीसदी, ब्रिटेन में 32 फीसदी, अमेरिका में 24, बांग्लादेश में 21 और रवांडा में 61 फीसदी महिला सांसद है।[8]

दुनिया में करीब 2.4 अरब महिलाओं के पास पुरुषों जैसे आर्थिक अधिकार नहीं

काम-काजी उम्र की करीब 2.4 अरब महिलाओं को समान आर्थिक मौके नहीं मिलते हैं और 178 देशों में ऐसी कानूनी अड़चने हैं जो महिलाओं को अपना पूरा आर्थिक योगदान देने से रोक लेती हैं। यह कहना है वर्ल्ड बैंक की विमेन, बिजनेस एंड द लॉ 2022 रिपोर्ट का। 86 देशों में महिलाओं को नौकरी में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है और 95 देशों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर आय नहीं मिलती है। वैश्विक तौर पर महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में सिर्फ तीन-चैथाई कानूनी अधिकार हैं। हालांकि वैश्विक महामारी के महिलाओं की जिंदगी और रोजीरोटी पर पड़ने वाले प्रभावों के बावजूद 23 देशों ने 2021 में अपने कानूनों में बदलाव किया ताकि महिलाओं के आर्थिक समावेश को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया जा सके। वर्ल्ड बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी एंड पार्टनरशिप, मारी पान्गेस्तू ने कहा- इस दिशा में काफी तरक्की हुई है, लेकिन अब भी महिलाओं और पुरुषों की जिंदगीभर की अपेक्षित सालाना आय के बीच 172 लाख करोड़ डॉलर का फर्क है- यह दुनिया के सालाना जीडीपी से दो गुना ज्यादा है।

वीमेन, बिजनेस एंड द लॉ 2022 मैगजीन 190 देशों में कानूनों और नियमों का अध्ययन करती है। इसमें महिलाओं की आर्थिक भागदारी को प्रभावित करने वाले 8 क्षेत्रों- गतिशीलता, काम करने की जगह, आय, शादी, अभिभावकता, उद्यमिता, संपत्ति और पेंशन शामिल हैं। यह डेटा वैश्विक लैंगिक समानता के लिए लक्ष्य और मापे जाने लायक बेंचमार्क ऑफर करता है। सिर्फ 12 देशों में कानूनी लैंगिक बराबरी लागू है। यह सभी देश ओईसीडी का हिस्सा हैं और इस साल चाइल्ड केयर कानूनों को नियंत्रित करने वाला 95 कंट्री पायलट सर्वे नया है। चाइल्ड केयर ऐसा क्रटिकल एरिया है जहां महिलाओं को नौकरी में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की बहुत जरुरत होती है।

2021 में वीमेन, बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स में सबसे ज्यादा सुधार मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका और सब-सहारन अफ्रीका क्षेत्रों में हुआ है, हालांकि वे पूरी दुनिया के अन्य हिस्सों के मुकाबले काफी पीछे हैं। गैबोन अपने सिविल कोड में किए गए बड़े बदलावों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का खात्मा कानून लागू किए जाने के कारण सबसे अलग दिखता है।[9]

महिला-पुरुष समानता: रैंकिंग एक पायदान फिसलकर 124 पर आई

लैंगिक समानता के संबंध में भारत द्वारा निरंतर अपना प्रदर्शन कायम रखने के बावजूद इस क्षेत्र में वैधानिक लिहाज से इसका स्थान वर्ष 2022 में 190 देशों के बीच फिसलकर 124वें पायदान पर आ गया है, जबकि एक साल पहले यह 123वें पायदान पर था और वर्ष 2020 में 117वें स्थान पर। विश्व बैंक के एक अध्ययन में संकलित किए गए सूचकांक से यह जानकारी मिली है। वर्ष 2022 के अध्ययन- श्महिलाएं, व्यवसाय और कानूनश् में 2 अक्टूबर, 2020 से लेकर 1 अक्टूबर, 2021 तक की अवधि में कानूनी सुधारों को ध्यान में रखा गया है। इन तीन वर्षों में 100 में से 74.4 अंक रहने के बावजूद भारत का स्थान नीचे फिसल गया है। इसका मतलब यह है कि इस लैंगिक अंतर को पाटने में भारत के मुकाबले अन्य देशों ने ज्यादा तेजी से सुधार किया है। यह रैंकिंग आठ विषयों-आवागमन, कार्यस्थल, वेतन, विवाह, मातृत्व, उद्यमिता, परिसंपत्ति और पेंशन के संबंध में कानूनी सुधारों पर आधारित है। इन तीन साल में से हर साल भारत को श्वेतनश् में सबसे कम 25 प्रतिशत अंक हासिल हुए, जिसके बाद श्मातृत्वश् में 40 प्रतिशत स्तर रहा। इन तीनों साल में से हर साल श्उद्यमिताश् और श्पेंशनश् में इसके अंक 75 प्रतिशत रहे, जबकि श्परिसंपत्तिश् में 80 प्रतिशत अंक थे। श्आवागमनश्, श्कार्यस्थलश् और श्विवाहश् में इसे 100 प्रतिशत अंक मिले। यह पूछने पर कि भारत की रैंकिंग में गिरावट क्यों आई, जबकि इन तीनों साल में इसके अंक समान रहे, इस अध्ययन में शामिल एक विशेषज्ञ ने कहा कि जहां एक ओर भारत ने इन सुधारों की शुरुआत किए जाने के बाद इनका अनुसरण नहीं किया, वहीं दूसरी ओर अन्य देशों ने, खास तौर पर पड़ोसी देशों ने सुधार किया है, जो उनके प्रदर्शन में नजर आता है।

वर्ष 2020 में नेपाल भारत से पीछे था, लेकिन वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में आगे निकल गया। इसने वर्ष 2022 की रिपोर्ट में अपनी स्थान एक पायदान सुधार कर 88वां कर लिया, जो वर्ष 2021 में 89वां था। इन तीनों वर्षों में भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से पीछे थे। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 की रिपोर्ट में भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान भी अपनी स्थिति में एक-एक पायदान का सुधार करके क्रमशरू 131वें, 147वें और 167वें स्थान पर आ गए। पिछले दो वर्षों में बांग्लादेश की रैंकिंग 174वें स्थान पर रही।[10]

भारत में अब भी बरकरार है बेटे की चाहत

भारत सरकार की ओर से 2022 में जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के लिंग अनुपात में सुधार हुआ है, लेकिन आबादी का एक बड़ा तबका अभी भी कम से कम एक बेटा होने की ख्वाहिश रखता है। 2019 से 2021 के बीच आबादी के व्यापक तबकों के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के ताजा आंकड़े बताते हैं कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग 80 फीसदी लोग कम से कम एक बेटा होने की इच्छा रखते हैं। इस सर्वेक्षण से पता चला कि अभी भी बड़े पैमाने पर लोग बेटियों पर बेटों को तरजीह दे रहे हैं।

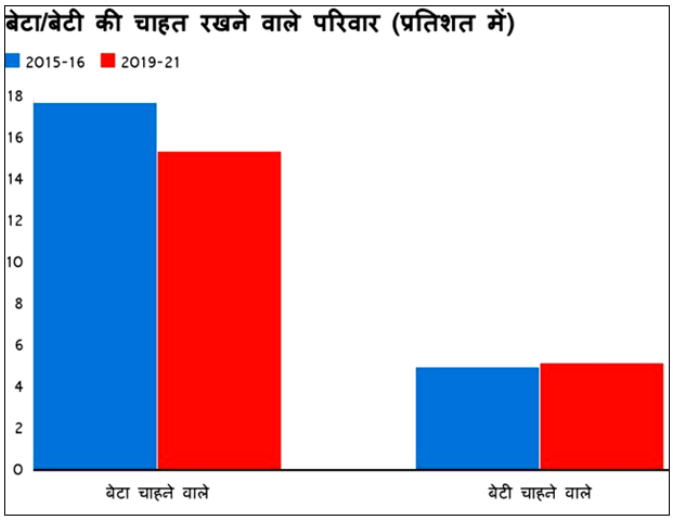

स्रोत: नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 4 और 5 के रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार

पिछले करीब एक सदी के जनगणना आंकड़ों के अनुसार, भारत में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या ज्यादा रही है। 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर 1,000 पुरुषों पर महज 940 महिलाएं थीं।

2011 में भारत का बाल लिंगानुपात (जन्म से 6 साल तक के बच्चों का अनुपात) तो और भी खराब था। आंकड़ों के अनुसार, तब 1,000 लड़कों पर केवल 918 लड़कियां ही थीं। इस चलते कई आलोचक भारत को श्ह्रापता महिलाओं का देशश् कहने लगे। हालांकि एनएफएचएस-5 सर्वेक्षण में भारत के लिंगानुपात में पहली बार सुधार देखा गया है। इसके अनुसार, भारत में अब पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हो गई है। हालांकि आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारत में बेटों की श्ऐतिहासिक प्राथमिकताश् अब भी बनी हुई है। इसके अनुसार, 16 प्रतिशत पुरुष और 14 प्रतिशत महिला यानी 15 प्रतिशत लोग बेटियों की तुलना में बेटा पैदा होने की इच्छा रखते हैं। इस चलते बेटे की चाहत में बेटियां पैदा होते जाती हैं।

2021 के एनएफएचएस-4 सर्वेक्षण में यह आंकड़ा 63 प्रतिशत था। 2022 के रिपोर्ट में उम्मीद की एक और किरण दिखी है। इसके अनुसार, बेटों के बजाय बेटियां पैदा करने की इच्छा रखने वालों का हिस्सा पिछली रिपोर्ट के 4.96 प्रतिशत से बढ़कर 5.17 प्रतिशत हो गया। हालांकि यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इससे पता चलता है कि भारत में कुछ लोग बेटों से ज्यादा बेटियों को चाहते हैं। जानकारों का मानना है कि इस बात का सीधा संबंध भारत की घटती कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट से है। यह दर महिलाओं के प्रजनन काल में पैदा किए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या के बारे में बताती है। एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट के अनुसार देश के बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती महिला साक्षरता और गर्भनिरोधक के बढ़ते इस्तेमाल से भारत की प्रजनन दर घटकर अब 2 हो गई है। मालूम हो कि किसी भी आबादी में यह आंकड़ा जब 2.1 से कम हो जाता है, तो करीब तीन दशक बाद जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाती है। देश की करीब 140 करोड़ आबादी के लिहाज से यह अच्छी खबर है, लेकिन जानकारों का मानना है कि संतुलित आबादी के लिए भारत को विषम लिंगानुपात की समस्या दूर करने पर जरूर ध्यान देना चाहिए।[11]

है।[12]

REFERENCES

1. मनुस्मृति, 3/56

2. सिंह, शंकर सुवन आलेख ‘‘समतामूलक समाज की द्योतक है लैंगिक समानता’’, प्रभा साक्षी समाचार पत्र, 8 मार्च, 2022

3. लैंगिक समानता और युवा विकास, यूनाइटेड नेशन इन इंडिया, 2020

4. सिंह, शंकर सुवन आलेख ‘‘समतामूलक समाज की द्योतक है लैंगिक समानता’’, प्रभा साक्षी समाचार पत्र, 8 मार्च, 2022

5. लैंगिक समानता और युवा विकास, यूनाइटेड नेशन इन इंडिया, 2020

6. मिश्रा, अरविंद कुमार आलेख ‘‘लैंगिक असमानता और नीतियां’’, जनसत्ता, 22 मार्च, 2022

7. अरोरा, अवनी आलेख ‘‘निचले तबके की घटती आमदनी: लैंगिक नजरिए से असमानता की धारणा का ‘विश्लेषण’, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, 8 जनवरी, 2022

8. सुथार, देवेन्द्रराज आलेख ‘‘लैंगिक समानता के लिए महिलाओं को देने होंगे समान अवसर’’, देशबन्धु, 22 दिसम्बर, 2019

9. दुनिया में करीब 2.4 अरब महिलाओं के पास पुरुषों जैसे आर्थिक अधिकार नहीं: विश्व बैंक, डाउन टू अर्थ, 1 मार्च, 2022

10. महिला-पुरुष समानता: रैंकिंग एक पायदान फिसलकर 124 पर आई, बिजनेस स्टैंडर्ड, 13 अप्रैल, 2022

11. भारत में अब भी बरकरार है बेटे की चाहत, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से चला पता, बीबीसी न्यूज, 17 मई 2022